



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082024-256524
CG-DL-E-21082024-256524

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3216]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946

No. 3216]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2024

का.आ. 3532(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3(a) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, सब डिविशनल मजिस्ट्रेट ऑफिस, मंडला, डिस्ट्रिक्ट मंडला (NH543) के कि.मी. 105+800 से 199+200 कि.मी. मध्य प्रदेश राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH543 मंडला से डिंडोरी रोड कि.मी. 105+800 से 199+200 कि.मी. पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकार 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
-----------------------	-------------------------	--------------------	------------	---------------------	----------------------	------------------

1	एस.डी.एम. शाहपुरा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH543 के कि.मी 105.8 से कि.मी 199.2 तक	मध्य प्रदेश	डिंडोरी	शाहपुरा	1	खजरवारा
						2	राई रैयत
						3	हराटोला

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/40/2018-19]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2024

S.O.3532(E). – In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3(a) of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of **km.105+800 to 199+200 km. of Sub divisional magistrate , Shahpura (NH543)** in the State of **MADHYA PRADESH**.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 543 (Dindori to Mandla) Road km.105+800 to 199+200 km. in the State of MADHYA PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SDM Shahpura	NH543 KM 105.8 TO KM 199.2	MADHYA PRADESH	DINDORI	Shahpura	1 Khajarwara 2 Rai Ryt. 3 Harratola

[F. No. CE-RO BPL/30010/40/2018-19]

ABHAY JAIN, Director